



Neutral Citation No. – 2026:AHC:19374

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट याचिका संख्या **3662/2025**

ताहिर अली खान और एक अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

प्रयागराज राजस्व बोर्ड और 7 अन्य

.....उत्तरदाता

याचिकाकर्ता के वकील
प्रतिवादी के वकील

: शोआर मोहम्मद खान
: सीएससी, काजी मोहम्मद अकरम

न्यायालय संख्या - 55

माननीय चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति।

1. हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री शोआर मोहम्मद खान, प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के विद्वान अधिवक्ता श्री काजी मोहम्मद अकरम और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बीएन पाठक की दलीलें सुनीं।

2. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ताओं और याचिकाकर्ताओं के पिता द्वारा यूपी जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम, 1950 (जिसे आगे "यूपीजेडए एवं एलआर अधिनियम" कहा गया है) की धारा 229-बी के तहत दायर वाद संख्या 99/2002-03 (ताहिर अली खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) और वाद संख्या 100/2002-03 (मोहम्मद अली खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) को ग्राम-ताशका, तहसील- सदर, जिला- रामपुर में स्थित भूखंड संख्या 90 (0.645 हेक्टेयर) और भूखंड संख्या 86 (3.67 हेक्टेयर) के संबंध में निचली अदालत द्वारा 30.8.2003 के निर्णय और डिक्री द्वारा खारिज कर दिया गया था। दिनांक 30.8.2003 के निर्णय और डिक्री के विरुद्ध आयुक्त के समक्ष दो अपीलें दायर की गईं, जिन्हें अपील संख्या 248/2002-03 और अपील संख्या 249/2002-03 के रूप में पंजीकृत किया गया। अतिरिक्त आयुक्त (न्यायिक), मुरादाबाद मंडल,

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

मुरादाबाद ने दिनांक 9.10.2003 के निर्णय और डिक्री द्वारा निचली अदालत द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को रद्द कर दिया और विवादित भूखंडों के संबंध में वादी के मुकदमे को स्वीकार कर लिया। दिनांकित निर्णय और डिक्री के विरुद्ध 9.10.2003 को अतिरिक्त आयुक्त द्वारा अपीलों पर पारित आदेश के विरुद्ध, 9.2.2004 और 15.4.2004 को उन व्यक्तियों द्वारा पुनः अपील याचिकाएँ दायर की गईं जो मुकदमे की कार्यवाही में पक्षकार नहीं थे। अतिरिक्त आयुक्त ने 21.7.2005 के आदेश द्वारा अपील संख्या 248/2002-03 और अपील संख्या 249/2002-03 में 9.10.2003 को पारित निर्णय और डिक्री को रद्द कर दिया और मुकदमे की कार्यवाही को विधि के अनुसार निचली अदालत द्वारा नए सिरे से सुनवाई के लिए बहाल कर दिया। अतिरिक्त आयुक्त के 21.7.2005 के आदेश के विरुद्ध, याचिकाकर्ताओं ने राजस्व बोर्ड के समक्ष यूपीजेडए एवं एलआर अधिनियम की धारा 333 के अंतर्गत पुनरीक्षण याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को 15.4.2004 के आदेश द्वारा डिफॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया। अतः, निम्नलिखित राहत के लिए यह रिट याचिका दायर की गई है:-

"I. माननीय राजस्व बोर्ड, इलाहाबाद द्वारा दिनांक **15.04.2024** को पारित आदेश को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी प्रकृति का रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें पुनरीक्षण संख्या **82/2004-05** (ताहिर अली खान बनाम नगर पालिका परिषद और अन्य) को अभियोजन में चूक के कारण खारिज कर दिया गया था, साथ ही अतिरिक्त आयुक्त (न्यायिक) द्वितीय, मुरादाबाद डिवीजन, मुरादाबाद द्वारा अपील संख्या **249/2002-03** (ताहिर अली खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में दिनांक **21.07.2005** को पारित आदेश को रद्द किया जाए, जिसमें दिनांक **09.10.2003** को पारित निर्णय और आदेश को वापस ले लिया गया था और इसे उप-विभागीय अधिकारी, सदर, रामपुर को ग्राम-ताश्का, तहसील-सदर, जिला-रामपुर में स्थित गाटा संख्या **90** के संबंध में वापस भेज दिया गया था।"

3. याचिकाकर्ताओं के वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं और उनके पिता द्वारा उपजेडए एवं एलआर अधिनियम की धारा 229-बी के तहत दायर मुकदमे को अतिरिक्त आयुक्त द्वारा अपील में उचित रूप से स्वीकार कर लिया गया था। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि नगर पालिका तथा साजिद खान और अन्य ने बहाली/वापसी आवेदन दायर किए हैं, जो मुकदमे की अपील में पक्षकार नहीं थे, अतः उन्हें निर्णय के विरुद्ध बहाली आवेदन दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। यूपीजेडए एवं एलआर अधिनियम की धारा 229-बी के तहत दायर मुकदमे की कार्यवाही से संबंधित अपील में पारित डिक्री को रद्द करने के संबंध में उन्होंने

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

निवेदन किया कि अतिरिक्त आयुक्त ने अपील में पारित निर्णय और डिक्री को अवैध रूप से वापस ले लिया है और मुकदमे की कार्यवाही को नए सिरे से सुनवाई के लिए बहाल कर दिया है। उन्होंने निवेदन किया कि राजस्व बोर्ड द्वारा याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को चूक के कारण खारिज कर दिया गया है, अतः विवादित आदेशों को रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 2 से 5, जिन्होंने अतिरिक्त आयुक्त के समक्ष बहाली आवेदन दायर किया था, ने इस न्यायालय के समक्ष हलफनामा दायर किया है कि इस मामले में उनकी कोई रुचि नहीं है और वे यूपीजेडए एवं एलआर अधिनियम की धारा 229-बी के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा संबंधित भूखंड के संबंध में शुरू की गई मुकदमे की कार्यवाही की बहाली/पुनः सुनवाई के लिए दबाव नहीं डाल रहे हैं। उन्होंने निवेदन किया कि निजी प्रतिवादियों द्वारा दायर हलफनामे को देखते हुए, रिट याचिका को स्वीकार किया जाना चाहिए, राजस्व बोर्ड और अतिरिक्त आयुक्त द्वारा पारित विवादित आदेशों को रद्द किया जाना चाहिए और अपील संख्या 249/2002-03 में दिनांक 9.10.2003 को पारित निर्णय और डिक्री को बरकरार रखा जाना चाहिए।

4. निजी प्रतिवादी संख्या 2 से 5 के विद्वान वकील ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार किया जाए और याचिकाकर्ताओं की बहाली/वापसी आवेदन को खारिज कर दिया जाए क्योंकि वे अतिरिक्त आयुक्त द्वारा याचिकाकर्ताओं के पक्ष में अपील में दिनांक 9.10.2003 को पारित निर्णय और डिक्री के विरुद्ध मामले को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखते हैं।

5. राज्य के विद्वान स्थायी वकील ने प्रस्तुत किया कि राजस्व बोर्ड और अतिरिक्त आयुक्त द्वारा पारित निर्णयों/आदेशों के विरुद्ध किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का अध्ययन किया है।

7. इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ताओं और याचिकाकर्ता के पिता द्वारा यूपीजेडए एवं एलआर अधिनियम की धारा 229-बी के तहत दायर मुकदमे को अतिरिक्त आयुक्त ने 9.10.2003 के निर्णय और डिक्री द्वारा अपील में स्वीकार कर लिया था। इस तथ्य पर भी कोई विवाद नहीं है कि उत्तरदाता संख्या 2 से 5 उपजेडए एवं एलआर अधिनियम की धारा 229-बी के तहत दायर मुकदमे में पक्षकार नहीं थे, लेकिन निजी उत्तरदाताओं संख्या 2 से 5 तथा नगर पालिका द्वारा दायर बहाली/वापसी आवेदन पर दिनांक 9.10.2003 का निर्णय एवं डिक्री रद्द कर दिया गया है और मुकदमे की कार्यवाही बहाल कर दी गई है। याचिकाकर्ता द्वारा

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

दायर पुनरीक्षण याचिका को चूक के कारण खारिज कर दिया गया है, इस तथ्य पर भी कोई विवाद नहीं है।

8. यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ता के पिता द्वारा दायर पुनरीक्षण संख्या 81/2004-05 की बर्खास्तगी के विरुद्ध, इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25.11.2024 के आदेश द्वारा रिट बी संख्या 3902/2024 को स्वीकार कर लिया गया था, जिसमें दिनांक 18.9.2024 और 21.7.2005 के आदेशों को निरस्त कर दिया गया था और मामले को प्रथम अपीलीय न्यायालय/आयुक्त के समक्ष दिनांक 9.10.2023 के आदेश के विरुद्ध दायर किए गए पुनः प्राप्ति आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए वापस भेज दिया गया था। इस न्यायालय के दिनांक 25.11.2024 के आदेश के अनुसरण में, दिनांक 6.3.2025 को अपील संख्या 248/2002-03 में दिनांक 9.2.2004 और 15.4.2004 के उनके बहाली आवेदनों पर जोर न देने के लिए आवेदन दायर किया गया था। तदनुसार, अतिरिक्त आयुक्त ने दिनांक 5.5.2025 के आदेश द्वारा दिनांक 6.3.2025 के आवेदन को स्वीकार कर लिया और दिनांक 9.2.2004 और 15.4.2004 के वापसी आवेदनों को खारिज कर दिया तथा दिनांक 9.10.2023 के निर्णय और डिक्री को बरकरार रखा। अतिरिक्त आयुक्त द्वारा दिनांक 5.5.2025 को पारित आदेश इस प्रकार है:-

"आदेश पत्रक

न्यायालय: अपर आयुक्त, प्रथम

मण्डल: मुरादाबाद, जनपद: रामपुर, तहसील: सदर

वाद संख्या:-697/2025

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या:-C202513000000697

मोहम्मद अली खा बनाम उ०प्र० सरकार अंतर्गत धारा:-

331 (3), अधिनियम: उ० प्र० ज० वि० भू० व्य०

अधिनियम, 1950

आदेश

पत्रावली प्रस्तुता प्रार्थना पत्र देहिदागण के विद्वान् अधीवक्ता को प्रार्थना पत्र दिनांकित 06.03.2025 पर सुना गया तथा प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया। मा० उच्च न्यायालय में याचिका सं० 3902/2024 नसीर अली खां आदि बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू आदि में पारित आदेश दिनांक 25.11.2024 के

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

अन्तर्गत इस न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 21.07.2005 एवं मा0 राजस्व परिषद द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.09.2024 को रिनरस्त करते हुए रिकॉल प्रार्थना पत्र दिनांक 09.02.2004 तथा 15.04.2004 पर पुनः सुनवाई किए जाने हेतु आदेशित किया गया है और चूंकि रिकॉल प्रार्थना पत्र देहिंदा/देहिंदागण रिकॉल प्रार्थना पत्र दिनांक 09.02.2004 तथा 15.04.2004 को बल न देने के कारण निरस्त कराना तथा आदेश दिनांक 09.10.2003 को यथावत रखना चाहते हैं अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण साजिद खां आदि का प्रार्थना पत्र दिनांक 06.03.2025 स्वीकार किया जाता है तथा रिकॉल प्रार्थना पत्र दिनांक 09.02.2004 व दिनांक 15.04.2004 निरस्त किए जाते हैं तथा आदेश दिनांक 09.10.2003 यथावत रखते हुए अपील की कार्यवाही समाप्त की जाती है। बाद आवश्यक कार्यवाही इस न्यायालय की पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(सर्वेश कुमार गुप्ता)

मण्डल: मुरादाबाद, जनपद: रामपुर, तहसील: सदर

05.05.2025"

9. यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि अपील संख्या 249/2002-03 में पारित निर्णय और डिक्री के विरुद्ध वापसी आवेदन दायर करने वाले प्रतिवादी संख्या 2 से 5 अपने दावे पर जोर नहीं दे रहे हैं, इसलिए यूपीजेडए एवं एलआर अधिनियम की धारा 229-बी के तहत मुकदमे की कार्यवाही का पुनः निर्णय विधि का दुरुपयोग है। यह भी उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ता के पिता द्वारा दायर एक अन्य मुकदमे में, जिसमें अपील में डिक्री दी गई थी, ऐसी ही परिस्थिति उत्पन्न हुई थी और अतिरिक्त आयुक्त ने अंततः दिनांक 9.2.2004/15.4.2004 की वापसी याचिकाओं को खारिज कर दिया और दिनांक 9.10.2003 के निर्णय और डिक्री को बरकरार रखा, अतः राजस्व बोर्ड या अतिरिक्त आयुक्त या निचली अदालत के समक्ष पुनर्विचार के लिए मामला वापस भेजना न्याय के हित में नहीं है, बल्कि अपील

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"

संख्या 249/2002-03 में अतिरिक्त आयुक्त द्वारा पारित दिनांक 9.10.2003 के प्रथम अपीलीय न्यायालय के डिक्री को बरकरार रखना उचित है।

10. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, प्रतिवादी संख्या 1/राजस्व बोर्ड द्वारा दिनांक 15.4.2024 को पारित आदेश और प्रतिवादी संख्या 7/अतिरिक्त आयुक्त (न्यायिक), मुरादाबाद डिवीजन, मुरादाबाद द्वारा अपील संख्या 249/2002-03 में दिनांक 21.7.2005 को पारित आदेश निरस्त किए जाने योग्य हैं और इन्हें निरस्त किया जाता है।

11. रिट याचिका स्वीकार की जाती है तथा अतिरिक्त आयुक्त (न्यायिक), मुरादाबाद डिवीजन द्वारा अपील संख्या 249/2002-03 में दिनांक 9.10.2003 को पारित निर्णय एवं डिक्री को यथावत रखा जाता है।

28 जनवरी, 2026

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)